8-7-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पचाला पर प्रस्तुत हुई। वादी की मृत्यु होने के कारण उसका पुत्र उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी नं. 1 कैलाश उपस्थित। दोनों पक्षों को सुना गया। उपस्थित प्रतिवादी ने बताया कि वादग्रस्त अराजी पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का दखल नहीं है। प्रतिवादी को वाद वादी डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा 1457 रकबा 1.60 है० वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्चा अपना-अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल दिये जाने हेतु दफ्तर दाखिल हो।

श्योजी

कैलाश